केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोनः 23353503, फैक्सः 23753923

याचिका सं.340 / टीएल / 2023 दिनांकः 5.2.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब 'पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड' के रूप से ज्ञात), बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "अनंतपुरम (अनंतपुर) (2500 मेगावाट) और कुरनूल (1000 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में सोलर एनर्जी जोन के लिए पारेषण योजना" के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया हैः

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रमावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	400 केवी (2x125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ अनंतपुरम एवं कुरनूल जिला के बीच उपयुक्त बॉर्डर स्थान पर 400 / 220 केवी, 7x500 एमवीए पूलिंग स्टेशन की स्थापना क. **400 केवी** I. आईसीटीः 7x500 एमवीए, 400 / 220 केवी ii. आईसीटी बेः 7 नंबर iii. लाईन बेः 4 नंबर iv. बस रिएक्टरः 2x125 एमवीएआर, 420 केवी v. बस रिएक्टर बेः 2 नंबर vi. लाईन रिएक्टरः 2x80 एमवीएआर, 420 केवी vii. स्विचेबल लाईन रिएक्टर बेः 2 नंबर viii. स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ भावी लाईन बे के लिए स्थानः 12 नंबर ix. संबद्ध बे के साथ भावी 400 / 220 केवी आईसीटी के लिए स्थानः 4 नंबर ख. **220 केवी** I. आईसीटी बेः 7 नंबर ii. लाईन बेः 12 नंबर iii. बस सेक्शनलाईजरः 2 सेट iv. बस कपलर बेः 3 नंबर v. ट्रांसफर बस कपलर बेः 3 नंबर vi. संबद्ध बे के साथ भावी 400 / 220 केवी आईसीटी के लिए स्थानः 4 नंबर vii. भावी लाईन बे के लिए स्थानः 8 नंबर viii. अतिरिक्त भावी 220 केवी बस सेक्शनलाईजर के लिए स्थानः 1 सेट ix. अतिरिक्त भावी 220 केवी टीबीसी बे के लिए स्थानः 1 नंबर x. अतिरिक्त भावी 220 केवी बीसी बे के लिए स्थानः 1 नंबर	एसपीवी ट्रांसफर से 24 मास
2.	अनंतपुरम पीएस–कुरनूल–III पीएस 400 केवी (क्वाड मूज़) डी / सी लाईन	एसपीवी ट्रांसफर से 24 मास
3.	अनंतपुरम पीएस–कुरनूल–III पीएस 400 केवी डी / सी लाईन के लिए कुरनूल–III पीएस पर 2 नंबर 400 केवी लाईन बे	एसपीवी ट्रांसफर से 24 मास
4.	अनंतपुरम पीएस–कडप्पा–400 केवी (क्वाड मूज़) डी / सी लाईन	एसपीवी ट्रांसफर से 24 मास
5.	अनंतपुरम पीएस–कडप्पा 400 केवी डी / सी लाईन के लिए कडप्पा पीएस पर 2 नंबर 400 केवी लाईन बे	एसपीवी ट्रांसफर से 24 मास
6.	संबद्ध स्विचिंग इक्विपमेंट के साथ अनंतपुरम पीएस–कडप्पा 400 केवी डी / सी लाईन के प्रत्येक सर्किट के लिए अनंतपुरम पीएस पर 80 एमवीएआर, 420 केवी स्विचेबल लाईन रिएक्टर	एसपीवी ट्रांसफर से 24 मास

नोटः

I. कुरनूल–III पीएस का विकासकर्ता अनंतपुरम पीएस–कुरनूल–III पीएस 400 केवी (क्वाड मूज़) डी / सी लाईन के समापन के लिए कुरनूल–III पीएस पर 400 केवी लाईन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

II. पावरग्रिड, अनंतपुरम पीएस–कडप्पा 400 केवी (क्वाड मूज़) डी / सी लाईन के समापन के लिए कडप्पा पीएस पर 400 केवी लाईन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।"

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 1288.88 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.10.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 340 / टीएल / 2023 में दिनांक 3.2.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid/.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **20.2.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **23.2.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / –
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव